

46

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-154/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० पुष्पा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसव रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसवरी, पटना को विभागीय आदेश संख्या-936(2) दिनांक-05.05.2026 द्वारा दिनांक-01.12.2025 से 31.05.2026 तक कुल-182 (एक सौ बयासी) दिन की अवधि को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था।

2. सिविल सर्जन, के ज्ञापांक-7591 दिनांक-30.05.2026 द्वारा अग्रसारित आवेदन के आलोक में उक्त अवकाश को दिनांक-01.06.2026 से 14.01.2027 तक कुल-228 (दो सौ अठाईस) दिन उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-559(25), दिनांक-31.03.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में विस्तारित करते हुए स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० पुष्पा के पक्ष में शून्य दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/--

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-154/2022- 1731(2) पटना, दिनांक 24/7/2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसवरी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव